(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2022

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्यांक 49/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी), तारीख 24 दिसंबर, 2008, जो सा.का.नि. 882(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह समाधन हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) के अधीन और उक्त अधिनियम की चौथीं अनुसूची के टैरिफ मद के अधीन आने वाले विनिर्दिष्ट माल, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित हैं, उस माल के रूप में करती हैं, जिस पर उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित खुदरा विक्रय मुल्य की प्रतशितता के रूप में उपशमन अनुज्ञात करती है।

सारणी

क्र. सं.	**टैरिफ मद**	**माल का विवरण**	**खुदरा विक्रय मुल्य की प्रतशितता के रूप में उपशमन**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30	सभी माल	55
2.	2403 99 90	तंबाकू युक्त पान मसाला	55

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार